बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
पी–एच0डी0 कार्यक्रम के लिए सामान्य दिशा निर्देश 2026–27

1. पी–एच0डी0कार्यक्रम –

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, यू.जी.सी. (पी–एच0डी0 डिग्री के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2022 और विश्वविद्यालय पी–एच0डी0अध्यादेश नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के अंतर्गत विभिन्न विषयों में सत्र 2026–27 के लिए पी–एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

2. कार्यक्रम की संरचना –

पी–एच0डी0कार्यक्रम के 2 भाग है: –

1. कोर्स वर्क – कोर्स वर्क की अवधि 6 माह है।

2. शोध कार्य – शोध कार्य की न्यूनतम अवधि 30 माह (2 वर्ष 6 माह) है, कोर्स वर्क को छोड़कर, इसे रेजिडेन्सी अवधि कहते है।

3. रेजिडेन्सी आवश्यकताएँ :–

कोर्स वर्क पूर्ण करने के बाद, शोध छात्रों को सम्बन्धित विभाग में नियमित रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य है, किसी भी अभ्यर्थी को नियमित रूप से उपस्थिति से छूट नहीं दी जाएगी।

4. प्रवेश परीक्षा से छूट –

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को पी–एच0डी0प्रवेश के लिए कॉमन एन्ट्रेस टेस्ट (CET) से छूट प्रदान की जायेगी–

(क) वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने UGC-NET (JRF सहित)/ UGC-CSIR-NET (JRF सहित)/SLET/ GATE/ICAR NET (JRF सहित)/GPAT/UGC द्वारा पी–एच0डी0 प्रवेश के लिए योग्यता प्राप्त की है।

(ख) विश्वविद्यालय, उसके संघटक कॉलेज या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेज के नियमित शिक्षक जिन्होंने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।

(ग) विश्वविद्यालय परिसर के स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत कार्यरत शिक्षक जिन्होंने कम से कम 2 वर्ष की शिक्षण सेवा पूर्ण की है और कम से कम 1 शोध पत्र प्रकाशित किया हो।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय छात्र (NRI सहित) भारत सरकार के सामान्य नियमों के अधीन होंगे।

यदि उन्होंने UGC NET/ NTA-NET/ SLET/GATE/ICAR NET/PCI या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उन्हें प्रवेश परीक्षा से छूट मिलेगी।

अन्य अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देना अनिवार्य है।

नोट :– राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/एजेन्सियों द्वारा बनाये गये सभी पी–एच0डी0 नियम लागू होंगे।

5. पी–एच0डी0 प्रवेश के लिए पात्रता –

1 वर्ष/2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री 4 वर्ष/8 सेमेस्टर की बैचल्लर डिग्री के बाद या 2 वर्ष/ 4 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री 3 वर्ष/6 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री के बाद या समकक्ष योग्यता, जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों।

आरक्षण में छूटः SC/ST/OBC (नॉन क्रीमी लेयर)/ई0डब्ल्यू0एस0/दिव्यांग और उ0प्र0 सरकार के नियमों के अनुसार अन्य श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत छूट यानी 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अंक मान्य होंगे।

6. प्रवेश प्रक्रिया –

प्रवेश 2 चरणों में होगाः प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार

1. प्रवेश परीक्षा – प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगें, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र।
   दोनों प्रश्न पत्रों में से प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम शोध प्रविधि पर एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम सम्बन्धित विषय से होगा तथा दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगें।
2. शैक्षणिक अधिभार 70 प्रतिशत एवं साक्षात्कार अधिभार 30 प्रतिशत

7. प्रवेश परीक्षा और उत्तीर्ण अंक –

प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्न पत्रों का कुल 50 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों हेतु 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। परीक्षा सामान्यतः बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय परिसर, झांसी में आयेजित की जायेगी।

नोटः प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को भी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन न करने की स्थिति में उनके पी–एच0डी0 के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. शुल्क विवरण

पी–एच0डी0 आवेदन शुल्क –

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रू 2000/– एवं अनूसूचित जाति/जनजाति हेतु रू 1000/–
पी–एच0डी0 आवेदन का शुल्क किसी भी परिपस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

कोर्स वर्क शुल्क – सभी अभ्यर्थियों हेतु रूपये 25,000/– मात्र

नोट :–

- विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या शोध निर्देशक की उपलब्धता और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार अलग–अलग हो सकती है। पी–एच0डी0 के किसी भी विषय में सीटें परिणाम को अन्तिम रूप दिए जाने के समय बढाई/घटायी जा सकती हैं।
- अभ्यर्थी अपनी पात्रता स्वयं जांच लें। आवेदक द्वारा फॉर्म में भरी गई जानकारी का साक्षात्कार से पहले सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह गलत पाई जाती है, तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और वह इस सम्बन्ध में किसी भी रियायत का दावा करने का हकदार नहीं होगा/होगी।
- इस अधिसूचना से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद किसी भी अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा। विश्वविद्यालय इस अधिसूचना के किसी भी प्रावधान में बिना पूर्व सूचना के संशोधन, परिवर्तन या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए सभी निर्णय अन्तिम होंगे। कोई भी विवाद या दावा विश्वविद्यालय के नियमों और शर्तों के अनुसार निपटाया जाएगा। विश्वविद्यालय किसी भी दावा या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- पी–एचडी. काउन्सलिंग समिति/सक्षम प्राधिकारी किसी भी विवाद पर अन्तिम निर्णय लेंगे।

9. आवेदन पत्र भरने के सामान्य निर्देश :–

1. आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट के समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जायेंगें।
2. प्रवेश परीक्षा देने वाले एवं छूट प्राप्त अभ्यर्थी दोनों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है।
3. अपलोड करने के लिए JPEG में तैयार रखें : फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, 10^{th}, 12^{th}, UG, PG मार्कशीट और डिग्री, NET/GATE प्रमाण पत्र इत्यादि।
4. ऑनलाइन माध्यम से पूरित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं सम्बन्धित संलग्नक इस पते पर भेजना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
कानपुर रोड़, झांसी, UP-284128

लिफाफे पर "Application for Ph.D. Entrance" और विषय का नाम लिखना अनिवार्य होगा।

1. अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त या अधूरे आवेदन पत्र रद्द कर दिए जायेंगे।
2. केवल आवेदन पत्र जमा करने से सीट का दावा नहीं किया जा सकता है।
3. **नवीनतम जानकारी के लिए** विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bujhansi.ac.in को देखना सुनिश्चित **करें।**

S.No.	Name of Subject	No of Seats
1	Agronomy	2
2	Plant Pathology	2
3	Entomology	2
4	Fine Art	1
5	Economics	8
6	English	8
7	Geography	4
8	Hindi Literature	2
9	History	2
10	Political Science	10
11	Sanskrit	6
12	Sociology	12
13	Library & Information Science	5
14	Defence Studies	4
15	Physical Education	10
16	Management	2
17	Tourism & Hotel Management	2
18	Botany	14
19	Chemistry	25
20	Mathematics	4
21	Statistics	2
22	Physics	8
23	Zoology	6
24	Pharmacy	22
25	Biotechnology	4
26	Computer Science	4
27	Environmental Science	4
28	Food Technology	5
29	Microbiology	4
30	Biomedical Science	2
31	Geology	2
32	Biochemistry	2
33	Education	14
	Total	**204**

No of Seats may be increased /decreased at the time of counselling